न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :—940/2017 निर्णय दिनांक :— 4.8.20

उनवान

1. लादूराम पुत्र श्री रणजीता
2. किशनलाल पुत्र रणजीता
3. राजूलाल पुत्र गंगू
4. गैन्दा पुत्र गंगू
5. रामकुंवार पुत्र सुखा

समस्त जातियान गुर्जर, निवासी— ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू, जिला. जयपुर राज0।

—–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—–अप्रार्थीगण

दावा नक्शा इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण को वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वादीगण की स्वंय की कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी खाता संख्या 09 के खसरा नम्बर 344/732 रकबा 0.07 है0 खसरा नम्बर 346/730 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 347/731

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के साबिक खसरा नम्बर 92 रकबा 15 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। जिस पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से व वर्तमान तकासमा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण अपनी उपच का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। विवादित आराजी का वर्तमान नक्शा ट्रैस को भू–प्रबन्ध विभाग के राजस्व कर्मचारियों द्वारा एकीकरण विभाग के पुराने नक्शा ट्रैस में अंकित साबिक खसरा न0 92 के मुताबिक वर्तमान नक्शा ट्रैस नही बनाया गया है। बल्कि पुराने नक्शे के विपरीत जाकर वर्तमान नक्शे का काफी छोटा कर दिया गया है।जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से हुआ है। वादीगण के वर्तमान नक्शा ट्रैस को उत्तर पूर्वी कोने में तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 0.15 है0 छोटा कर दिया है जिसका विपरीत प्रभाव वादीगण की भूमि के क्षेत्रफल पर पडता है। वर्तमान नक्शा ट्रैस से नाप चौक करने पर वादीगण की भूमि भी कम पडती है तथा वादीगण की भूमि के उत्तर से दक्षिणी मेउ के लगवा वर्तमान नक्शा ट्रैस में कोई रास्ता अंकित नही है। उक्त कार्यवाही भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से अपने क्षेत्रााधिकार से बाहर जाकर की गई है जो कि गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण की भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रैस के उत्तर पूर्वी कोने पर खसरा नम्बर 521 तथा खसरा नम्बर 522 को वर्तमान नक्शा ट्रैस में अंकित कर दिया गया है। जबकि उक्त खसरा 521 व 522 की खातेदारी अन्य दीगर व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है। जिससे वादीगण के वर्तमान नक्शा ट्रैस में

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है। वादीगण का वाद अन्दर मियाद एवं निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 344 / 733 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 657 / 1 रकबा 0.39 है0 खसरा नम्बर 657 / 1 रकबा 0.35 है0 खसरा नम्बर 658 / 1 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 344 / 732 रकबा 0.02 है0 , खसरा न0 657 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 658 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 344 / 734 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 659 रकबा 0.24 है0 खसरा नम्बर 662 रकबा 0.38 है0 खसरा नम्बर 344 / 735 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 659 / 1 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 660 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 661 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 662 / 1 रकबा 0.30 है0 खसरा नम्बर 344 / 736 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 346 / 730 रकबा 0.01 खसरा नम्बर 347 / 731 रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 660 / 1 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 669 रकबा 0.70, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.50 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में वादीगण के वर्तमान नक्शा ट्रैस को पुराने नक्श टैस अनुसार दुरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वो वादीगण के वर्तमान नक्शा ट्रैस को पुराने नक्शा ट्रैस से दुरस्त होने तक वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे न ही वादीगण द्वारा बनाई गई खेल को तोडे ना ही किसी प्रकार की तोड फोड करे ना ही किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वर्तमान नक्शे को काफी छोटा कर दिया गया, जिसका विपरीत प्रभाव वादीगण की भूमि के क्षेत्रफल पर पडता है, वर्तमान नक्शा ट्रेस से नाम चौक करने पर वादीगण की भूमि कम पडती है। पुराने साबिक खलन्दर व एकीकरण के नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त फरमाया जावें। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम बिहारीपुरा की जमाबंदी सं0 2073–76 खाता संख्या 9, 15, 16 मिलान क्षेत्रफल 2051–2070, नक्शा ट्रेस सम्वत 1964 जमांबन्दी सम्वत 2036–39 खाता संख्या 2036–39 खाता संख्या 19, नक्शा ट्रेस 1985–86 बतोर सबुत दस्तावेज पेश किये गयें। वकील वादी की बहस पर मनन किया व जवाब सरकार एवम् प्रस्तुत दस्तावेज एवम् दावे का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा न. 92 रकबा 15 बीघा राजस्व रिकार्ड ग्राम बिहारीपुरा की जमाबंदी सम्वत 2036 से 39 के खाता संख्या 18 में दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है जिसका नक्शा ट्रेस पूर्व में सही बना हुआ था, जिसको भूप्रबन्ध विभाग द्वारा एकीकरण विभाग के पुराने नक्शे में अंकित साबिक ख.न 92 के मुताबिक वर्तमान नक्शा ट्रेस नही बनाया जाकर पुराने नक्शों के विपरीत जाकर वर्तमान नक्शे का छोटा कर दिया गया जो भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा उक्त नक्शे को सहवन से किया गया है। वादीगण के वर्तमान नक्शा ट्रेस को उत्तर पूर्वी कोने में तथा उत्तर से दक्षिण दिशा लगभग 0–15 है छोटा कर दिया जिसका विपरीत प्रभाव वादीगण को भूमि के क्षेत्रफल पडता है वर्तमान नक्शा ट्रेस नाप चौक करने पर वादीगण की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 0.26 है0 344/734 रकबा 0.01 है, 659 रकबा 0.24 है0, 662 रकबा 0.38 है0, 344/735 रकबा 0.01 है0 659/1 रकबा 0.24 है0, 660 रकबा 0.03 है0, 661 रकबा 0.06 है0, 662/1 रकबा 0.30 है0, 344/736 रकबा 0.01 है0, 347/731 रकबा 0.02 है0, 660/1 रकबा 0.50 है0 किता 21 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू में वादीगण के वर्तमान नक्शा ट्रेस को पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस को पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्रि जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हों

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
4.8.20

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

C:\Users\Lenovo\Downloads\ladu vs sarkar.docx